बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
बिहार, पटना
आदेश

पटना, दिनांक–25.04.25

सं0सं0–BS³–101256/96–331/बिहार सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2018 के नियम 10, 11 एवं 12 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में सभी निबंधित संस्थाओं/एन0जी0ओ0 को वित्तीय वर्ष के अंत में अंकेक्षण प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन, फॉर्म–सी0 तथा विदेशी अंशदान की प्राप्ति एवं उपयोगिता से संबंधित प्रतिवेदन ऑनलाईन सिस्टम में जमा करने की सुविधा विभाग द्वारा प्रदान की जा रही है।

02. राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना के माध्यम से सभी संस्थाओं/एन0जी0ओ0 को विगत 05 वित्तीय वर्षों का अंकेक्षण प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन, फॉर्म–सी0 तथा विदेशी अंशदान की प्राप्ति एवं उपयोगिता से संबंधित प्रतिवेदन दिनांक–31.01.2025 के पूर्व विभागीय वेबसाईट–enibandhan.bihar.gov.in पर आवश्यक रूप से अपलोड करने का निदेश दिया गया है।

03. इस हेतु विभागीय पत्रांक–13034 दिनांक–05.02.2025 के द्वारा **Bihar Women Lawyer's Association (निबंधन सं0–267/1996–97), पटना** को नोटिस निर्गत किया गया।

04. उक्त पत्र के प्रसंग में श्रीमती रेणुका शर्मा, **Bihar Women Lawyer's Association, 218/A, Srikrishna Puri, Patna** के द्वारा संस्था कार्यरत नहीं होने के कारण विघटन हेतु पत्र प्रेषित करते हुए निवेदन किया गया कि वर्ष–2008 में उनके पुत्र की मृत्यु हो जाने के उपरांत संस्था कार्यरत नहीं है, पूर्व में भी वर्ष–2013 में उनके द्वारा संस्था के विघटन हेतु पत्र प्रेषित किया गया था, उक्त पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक–1397 दिनांक–10.12.2013 के द्वारा संस्था विघटन हेतु दिशा निर्देश दिया गया था।

05. इससे स्पष्ट होता है कि **Bihar Women Lawyer's Association (निबंधन सं0–267/1996–97), पटना** नामक संस्था वर्तमान में अस्तित्वहीन एवं निष्क्रिय होने के साथ ही बिहार सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2018 धारा के नियम–10(i) द्वारा विहित प्रतिवेदन जमा नहीं किया है।

06. उक्त वर्णित परिस्थिति में सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 की धारा–23 एवं बिहार सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2018 के नियम 14 (क) एवं 14 (घ) के आलोक में **Bihar Women Lawyer's Association (निबंधन सं0–267/1996–97), पटना** नामक संस्था के निबंधन को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। अतएव

(क) इस संस्था में कोई पदधारक या सदस्य अब संस्था के नाम से कोई भी कार्रवाई संचालित नहीं करेंगे।

(ख) इस संस्था के किसी भी पदधारक या सदस्य द्वारा संस्था से संबंधित किसी भी बैंक खाते का संचालन नहीं किया जायेगा तथा किसी चल–अचल सम्पत्ति का क्रय/विक्रय का निष्पादन नहीं किया जायेगा।

(ग) जिलाधिकारी, पटना संस्था के चल–अचल सम्पत्ति के संबंध में जानकारी प्राप्त कर उसे अपने अधीन लेते हुए प्रतिवेदन विभाग को भेजेंगे, ताकि इसके निष्पादन के संबंध में कार्रवाई की जा सके।

07. प्रस्ताव में निबंधन महानिरीक्षक का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(डॉ0 संजय कुमार)
उप निबंधन महानिरीक्षक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– BS³–101256/96–331/ पटना, दिनांक–25.04.25

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02. सचिव, Bihar Women Lawyer's Association, 218/A, Srikrishna Puri, Patna को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03. विभागीय प्रोगामर, श्री प्रतीक भारद्वाज को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जाय।

उप निबंधन महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।